संख्या:20/2015/94 बी0पी0/35-1-2015

प्रेषक,

जे.बी.सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता,
लघु सिंचाई विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

नियोजन अनुभाग-1 लखनऊ :दिनांक 08 मई, 2015

विषय:- बुन्देलखण्ड पैकेज के अन्तर्गत लघु सिंचाई विभाग की परियोजनाओं हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बुन्देलखण्ड पैकेज के अन्तर्गत लघु सिंचाई विभाग अधीन नये डगवेल का निर्माण नामक परियोजना की वर्ष 2010-11 में शासनादेश संख्या-2374/35-आ-1/2010, दिनांक 27 अक्टूबर, 2010 द्वारा रू. 250.00 करोड़ (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता रू. 125.00 करोड़ और मनरेगा रू. 125 करोड़) की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए रू.10000.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई थी, जिसके सापेक्ष विभाग द्वारा रू. 432.63 करोड़ का व्यय किया गया तथा अवशेष धनराशि समर्पित कर दी गई। वर्ष 2011-12 में परियोजना के अवशेष कार्यों हेतु रू.12067.37 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई, विभाग द्वारा रू. 2283.25 लाख की धनराशि व्यय की गई और शेष धनराशि समर्पित कर दी गई। वर्ष 2012-13 में परियोजना के अवशेष कार्यों हेतु रू. 4784.12 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई, विभाग द्वारा रू. 1967.47 लाख की धनराशि व्यय की गई और शेष धनराशि समर्पित कर दी गई। वर्ष 2013-14 में परियोजना के अवशेष कार्यों हेतु रू. 2816.65 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई, विभाग द्वारा रू. 2106.60 लाख की धनराशि व्यय की गई और शेष धनराशि समर्पित कर दी गई। वर्ष 2014-15 में परियोजना के अवशेष कार्यों हेतु रू. 5000.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई, विभाग द्वारा रू. 4945.00 लाख की धनराशि व्यय की गई और शेष धनराशि समर्पित कर दी गई। इस प्रकार वर्ष 2014-15 तक परियोजनान्तर्गत अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता लागत के सापेक्ष रू. 11734.95 लाख धनराशि व्यय हुई है। नीति आयोग (तत्समय योजना आयोग) भारत सरकार के पत्र दिनांक 05 दिसम्बर, 2013 द्वारा परियोजना के चालू कार्यक्रमों के लिये पूर्व में अवमुक्त रू. 75.00 करोड़ की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के अतिरिक्त पैकेज के अन्तर्गत अन्य परियोजनाओं हेतु अवमुक्त ए.सी.ए. में से रू. 63.49 करोड़ का पुनरावंटन किया गया है। इस प्रकार परियोजना हेतु कुल मिलाकर रू. 138.49 करोड़ की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता उपलब्ध हो जाती है। एतद द्वारा परियोजना के अवशेष कार्यों हेतु भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रीय सहायता की सीमा के अधीन रहते हुए वर्ष 2015-16 में विभागीय मॉग के अनुरूप रू.1890.00 लाख (रूपये अठारह करोड़ नब्बे लाख मात्र) की धनराशि

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1- सन्दर्भित शासनादेशें की अन्य शर्तें यथावत रहेगी।

2- कार्यों को मानको के अनुरूप गुणवत्ता के साथ पूर्ण किया जायेगा तथा लागत में वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।

3- स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष कार्यवार वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की सूचना पूर्व निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह की 07 तारीख तक नियोजन विभाग को भेजी जायेगी।

2- स्वीकृत धनराशि के समक्ष होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2015-16 के बजट के अनुदान संख्या-40 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष 4575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूँजीगत परिव्यय-आयोजनागत-02-पिछड़े क्षेत्र-800-अन्य व्यय-04-बुन्देलखण्ड की विशेष योजनायें-20-नये डगवेल का निर्माण-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त(आय व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या:2/2015/बी-1-925/ दस-2015-231/2015 दिनांक 30 मार्च, 2015 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अनुक्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(जे.बी. सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या– 20/2015/94 बीपी (1)/35-1-2015, तद दिनांक

प्रतिलिपि निम्लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-प्रधान महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2-महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, इलहाबाद।
3-प्रमुख सचिव, वित्त विभाग।
4-प्रमुख सचिव लघु सिंचाई/ग्राम्य विकास विभाग ।
5-निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी।
6-मण्डलायुक्त, झांसी/ चित्रकूट धाम।
7-जिलाधिकारी, झांसी/ ललितपुर/ जालौन/ हमीरपुर/ बांदा/ महोबा/ चित्रकूट।
8-मुख्य विकास अधिकारी, झांसी/ललितपुर/जालौन/ हमीरपुर/ बांदा/ महोबा/ चित्रकूट।
9- कोषाधिकरी, झांसी/ललितपुर/जालौन/ हमीरपुर/ बांदा/ महोबा/ चित्रकूट।
10-वित्त व्यय नियंत्रण, अनुभाग-5
11-जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, झांसी/ ललितपुर/ जालौन/ हमीरपुर/ बांदा/ महोबा/ चित्रकूट।
12-गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(जे.बी.सिंह)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in